

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 29.07.2016


आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला प्रतापगढ हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1- | श्री दीनदयाल सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह राणावत<br>साखथली हाउस, मानपुरा रोड, जिला-प्रतापगढ,<br>मो0नं0.9414148833    | अध्यक्ष    |
| 2- | श्री जयंति लाल जैन पुत्र श्री केसरी मल जैन,<br>पारसोला, जिला प्रतापगढ, मो0नं0 9983898373                           | सदस्य      |
| 3- | श्रीमती नूतन भट्ट पत्नी श्री चन्द्राश भट्ट<br>सदर बाजार, जिला प्रतापगढ, मो0नं0 9001050423                          | सदस्य      |
| 4- | श्री लच्छी राम मीणा पुत्र श्री भैरु लाल<br>निवासी-सैकडी, थाना हथुनिया, तहसील व जिला प्रतापगढ,<br>मो0नं0-9784254741 | सदस्य      |
| 5- | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,<br>प्रतापगढ।   | सदस्य सचिव |


उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत इस समिति की पदावधि दो वर्ष की होगी।

आज्ञा से,

  
(पवन कुमार जैन)  
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।

  
29/7/2016  
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस